

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

नाम वारि

बनाम

देवीलाल

केसम मुकदमा

वाट

नं०

101

सन् 2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए |
|------------------------------------|---|--|
| 27 ¹¹ / ₂₄ | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रतिवादी के जिरह हेतु अक्सर-चाहा जो दिया जाता है पत्रावली बस्ते जिरह दिनांक 03/12/2024 को पेश हो। S.D.O. | |
| 03 ¹² / ₂₀₂₄ | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जिरह हेतु अक्सर-चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली बस्ते जिरह दिनांक 12/12/24 को पेश हो। S.D.O. | |
| 12 ¹² / ₂₀₂₄ | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जिरह हेतु अक्सर-चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली बस्ते जिरह दिनांक 12/12/24 को पेश हो। S.D.O. | |
| 17 ¹² / ₂₀₂₄ | पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी को और से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से बाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। S.D.O. | <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (विचारांगण)</p> |

